पंजीकृत संख्या–यू०ए०/डी०एन०–30/2006–2008
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–7] रुड़की, शनिवार, दिनांक 04 नवम्बर, 2006 ई० (कार्तिक 13, 1928 शक सम्वत्) [संख्या–44

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु०
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	435–446	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तरांचल के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	139–141	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तरांचल	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तरांचल	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	–	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

गृह विभाग

12 अक्टूबर, 2006 ई0

संख्या 2433/265/XX(I)/पुलिस/2005–संयुक्त प्रान्त का प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी एक्ट, 1948 (संयुक्त प्रान्तीय एक्ट संख्या 40, सन् 1948) की धारा 15 की उपधारा (2) के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1982 (उत्तरांचल में यथा प्रवृत्त), को उत्तरांचल के परिप्रेक्ष्य में संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1982) (संशोधन) नियमावली, 2006

1–संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1982) (संशोधन) नियमावली, 2006 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2–उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1982 (उत्तरांचल में यथा प्रवृत्त), में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 15 के उप नियम (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
नियम 15 (2)–चयन समिति आवेदन पत्रों की संवीक्षा करेगी और नियम 6 के अधीन आरक्षण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलायेगी जो अपेक्षित अर्हताएं रखते हों। साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, यथाशक्य, रिक्तियों की संख्या से दुगुनी होगी। यदि किसी भी श्रेणी के पदों के लिये आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अत्यधिक हो, तो समिति अभ्यर्थियों की शैक्षिक उपलब्धता व अनुभव के आधार पर एक योग्यता सूची तैयार करेगी और एतत्पूर्व उल्लिखित संख्या से अधिक उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलायेगी, जितनी वह आवश्यक समझे।	नियम 15 (2)–(क) चयन समिति सभी आवेदन पत्रों की संवीक्षा करेगी और नियम 6 के अधीन आरक्षण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे अभ्यर्थियों की एक वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा करेगी, जो अपेक्षित अर्हताएं रखते हों। वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा के विषय इस नियमावली से सम्बन्धित निम्नलिखित अनुलग्नक के अनुसार होंगे। इस वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्रश्न, पद के लिए अनिवार्य परीक्षा के स्तर के होंगे। चयन समिति लिखित परीक्षा के पश्चात् श्रेष्ठता के क्रम में सफल अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी। लिखित परीक्षा में बराबर अंक पाये जाने वाले दो या अधिक अभ्यर्थी भी साक्षात्कार के लिए आमन्त्रित किये जायेंगे। साक्षात्कार के लिये आमन्त्रित किये जाने वाले कुल अभ्यर्थियों की संख्या वास्तविक रिक्तियों की संख्या से तीन गुना से अधिक नहीं होगी। साक्षात्कार से पूर्व निर्धारित शारीरिक मापदण्ड/अर्हताएं पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। (ख) चयन समिति उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ नियमावली, 1982 के नियम 6 में दिये गये उपबन्धों के अधीन रहते हुए रिक्तियों के समतुल्य अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी। वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में अभ्यर्थियों की प्रवीणता के आधार पर अन्तिम श्रेष्ठता सूची तैयार की जाएगी। (ग) तैयार की गयी अन्तिम सूची में उल्लिखित अभ्यर्थियों को, सक्षम चिकित्सा परिषद् द्वारा किये जाने वाले चिकित्सकीय परीक्षण को उत्तीर्ण करना होगा। ऐसे अभ्यर्थी जो चिकित्सा परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जायेंगे, नियुक्ति के लिये पात्र होंगे।

अनुलग्नक

[नियम 15 (2) देखें]

लिखित परीक्षा–सीधी भर्ती के लिये विषय

वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा 90 अंकों की होगी जो निम्न विषयों पर आधारित होगी तथा 10 अंक का साक्षात्कार, कुल 100 अंक होंगे :–

1–सामान्य ज्ञान परीक्षा	...	40 अंक
2–मानसिक तर्क शक्ति	...	20 अंक
3–सामान्य विज्ञान	...	30 अंक
कुल योग :		90 अंक

आज्ञा से

विभा पुरी दास,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 2433/265/XX(I)/Police/2004,** dated October 12, 2006 for general information :

October 12, 2006

No. 2433/265/XX(I)/Police/2004--In exercise of the powers conferred by clause (2) of sub-rule (2) of section 15 of the United Provinces Pradeshik Armed Constabulary Act, 1948 (UP Act no. 40, 1948), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the UP Police Radio Adhinastha Sewa Niymawali, 1982 in its application to the State of Uttaranchal.

UTTARANCHAL (U. P. POLICE RADIO SUBORDINATE SERVICE RULES, 1982) (AMENDMENT) RULES, 2006

1. Short title and Commencement

(1) These rules may be called Uttaranchal (U.P. Police Radio Subordinate Service Rules, 1982) (Amendment) Rules, 2006.

(2) They will come into force at once.

2. In the Uttar Pradesh Police Radio Adhinasth Sewa Niymawali, 1982 (As applicable to the State of Uttaranchal) for the existing sub-rule (2) of Rule 15 set out in the column-I below, the sub-rule as set out in column-II shall be substituted, namely :--

Column I	Column II
Existing Rule	**Rule as hereby substituted**
नियम 15 (2)—चयन समिति आवेदन पत्रों की संवीक्षा करेगी और नियम 6 के अधीन आरक्षण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलायेगी जो अपेक्षित अर्हताएं रखते हों। साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, यथाशक्य, रिक्तियों की संख्या से दुगुनी होगी। यदि किसी भी श्रेणी के पदों के लिये आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अत्यधिक हो, तो समिति अभ्यर्थियों की शैक्षिक उपलब्धता व अनुभव के आधार पर एक योग्यता सूची तैयार करेगी और एतत्पूर्व उल्लिखित संख्या से अधिक उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलायेगी, जितनी वह आवश्यक समझे।	Rule 15(2)—(A) Selection Committee will scrutinize the applications and conduct an objective type written examination of all the candidates possessing the required qualifications in view of the requirements of reservation under rule 6. The subjects of the objective type written examination will be as per Annexure given below with the Rules. The questions in the objective type written examination shall be of the standard of the examination required for the post. A merit list of the successful candidates will be prepared after the written examination by the Selection Committee. If two or more candidates obtain equal marks they will also be called for interview. The number of candidates called for interview shall not be more than three times the actual vacancies. The candidates shall be required to qualify prescribed physical standard prior to the interivew. (B) The Selection Committee shall prepare a list of candidates equal to the number of vacancies under the provisions of rule-6 of U.P. POLICE RADIO ADHINASTH SEWA NIYMAWALI, 1982. A final merit list of the candidates shall be prepared on the basis of their proficiency in the objective type written examination and interview. (C) Selected candidates will have to pass the medical fitness examination conducted by the Competent Medical Board. All such candidates declared medically fit by the Medical Board will be eligible for appointment.

Annexure

(See Rule 15(2)

Written Examination-Subjects for Direct Recruitment

An objective type written examination carrying 90 marks will be conducted in the following subjects, 10 marks are for interview, thus total marks are 100 :–

1. General Knowledge	...	40 Marks
2. Power of Reasoning	...	20 Marks
3. General Science	...	30 Marks
Total :		90 Marks

By Order,

VIBHA PURI DAS,
Principal Secretary.

कार्यालय ज्ञाप

12 अक्टूबर, 2006 ई०

संख्या 2443/गृह–1/348/विविध/2004—जनपद हरिद्वार के रुड़की में शव विच्छेदन गृह का निर्माण हो जाने के फलस्वरूप श्री राज्यपाल शव विच्छेदन गृह रुड़की में मानव शवों का विच्छेदन (Post-Mortem)/चिकित्सीय परीक्षण किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

शव विच्छेदन गृह रुड़की में पुलिस थाना क्षेत्र रुड़की से सम्बन्धित मानव शवों के शव विच्छेदन (Post-Mortem)/चिकित्सीय परीक्षण के कार्य सम्पन्न किये जायेंगे।

आज्ञा से

विभा पुरी दास,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 2443/Home-1/348/Misc./2004**, dated October 12, 2006 for general information :

OFFICE MEMORENDUM

October 12, 2006

No. 2443/Home-1/348/Misc./2004--As a result of the construction of new Post-Mortem house at Roorkee, in the District Hardwar, the Governor is pleased to accord sanction to conduct the Post-Mortem and medical examination of human corpses in this new Post-Mortem house at Roorkee.

The Post-Mortem and medical examination of the human corpses of the areas of Police Station, Roorkee shall be conducted at the Post-Mortem house at Roorkee.

By Order,

VIBHA PURI DAS,
Principal Secretary.

न्याय अनुभाग–1

अधिसूचना

नियुक्ति

09 अक्टूबर, 2006 ई०

संख्या 8–नो–(ई)/XXXVI(I)/06–924(60)/92–टी०सी०--नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या 53, सन् 1952) की धारा 3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके महामहिम राज्यपाल श्री खेमराज मिश्र, अधिवक्ता को दिनांक 05–10–2006 से पांच वर्ष की अवधि के लिए जिला टिहरी गढ़वाल की तहसील जाखणीधार के लिए नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम 8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि श्री खेमराज मिश्र का नाम उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट कर लिया जाय।

आज्ञा से,

श्रीमती इन्दिरा आशीष,
सचिव एवं विधि परामर्शी।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 8-No-E/XXXVI(I)/06-924(60)/92-T.C.** dated October 09, 2006 for general information :

NOTIFICATION

Appointment

October 09, 2006

No. 8-No-E/XXXVI(I)/06-924(60)/92-T.C. --In exercise of the powers under section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No. 53 of 1952), the Governor is pleased to appoint Shri Khemraj Mishra, Advocate as Notary for a period of five years with effect from 05.10.2006 for Tehsil Jakhnidhar of District Tehri Garhwal and in exercise of the powers under Sub-rule (4) of Rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name Shri Khemraj Mishra be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

By Order,

Smt. INDIRA ASHISH,
Secretary & L.R.

रजिस्ट्रेशन नम्बर–17(08)/2006

"प्रैक्टिस करने का प्रमाण–पत्र"

श्री खेमराज मिश्रा, जिन्होंने अपना सामान्य वृत्तिका पता–एडवोकेट, ग्राम जामटी पट्टी, पौडीवाल, तहसील जाखणीधार, टिहरी गढ़वाल, हाल–6/4 के ब्लॉक, मोलधार, नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल, उत्तरांचल घोषित किया है, को नोटरी एक्ट, 1952 (एक्ट संख्या 53, 1952) और तद्धीन बनाये गये नोटरीज रूल्स, 1956 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए दिनांक 05–10–2006 से पांच वर्ष की अग्रेत्तर अवधि के लिए जिला टिहरी गढ़वाल की तहसील जाखणीधार में नोटरी के रूप में प्रैक्टिस करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

ह0/अस्पष्ट,

श्रीमती इन्दिरा आशीष,
सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी।

यह दिनांक 05.10.06 को
मेरे द्वारा तथा उत्तरांचल
सरकार की मोहर लगाकर
दिया गया।

औद्योगिक विकास अनुभाग–1

कार्यालय ज्ञाप

11 अक्टूबर, 2006 ई0

संख्या 4056/VII–1–06/457–उद्योग/02–उद्योग सेवा श्रेणी–2, वेतनमान रुपये 8000–13500 में नियुक्त प्रबन्धक श्री उमा कान्त जोशी, जिला उद्योग केन्द्र, ऊधमसिंह नगर को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उप निदेशक/महाप्रबन्धक के पद, वेतनमान रु0 10000–15200 में प्रोन्नति किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–यह प्रोन्नति उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अन्तर्गत भारत सरकार से कार्मिकों के अन्तिम आवंटन के अधीन होगी। अर्थात अन्यथा की स्थिति में उक्त पदोन्नति परिवर्तित/परिवर्द्धित की जा सकेगी।

3–नवीन तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जा रहे हैं।

11 अक्टूबर, 2006 ई0

संख्या 4057/VII–1–06/457–उद्योग/02–उद्योग सेवा श्रेणी–2, वेतनमान रुपये 8000–13500 में नियुक्त प्रबन्धक श्री गिरीश चन्द्र पाण्डेय, उद्योग निदेशालय, देहरादून को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उप निदेशक/महाप्रबन्धक के पद, वेतनमान रु0 10000–15200 में प्रोन्नति किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–यह प्रोन्नति उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अन्तर्गत भारत सरकार से कार्मिकों के अन्तिम आवंटन के अधीन होगी। अर्थात अन्यथा की स्थिति में उक्त पदोन्नति परिवर्तित/परिवर्द्धित की जा सकेगी।

3–नवीन तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जा रहे हैं।

आज्ञा से,

संजीव चोपड़ा,
सचिव।

उद्यान एवं रेशम विभाग

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

11 अक्टूबर, 2006 ई0

संख्या 1330/XVI/1(53)/200/01–उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अन्तर्गत औद्यानिक विकास शाखा में श्रेणी–3 से श्रेणी–2 के रिक्त पदों पर प्रोन्नति द्वारा नियमित रूप से चयन कराये जाने विषयक निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तरांचल, के पत्रांक 14/दो–11–1/श्रेणी–2/2006–07, दिनांक 07 अप्रैल, 2006 के अनुक्रम में लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल द्वारा की गयी संस्तुतियों पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय, उपर्युक्त शाखा में श्रेणी–3 में कार्यरत निम्नलिखित कार्मिकों को तात्कालिक प्रभाव से श्रेणी–2, वेतनमान रु0 8000–13500 में पदोन्नति प्रदान कर, दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखते हुए उनके नाम के सम्मुख इंगित स्थान पर तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्र0सं0	कार्मिक का नाम	श्रेणी–2 में तैनाती का पदनाम/स्थान
1	2	3
1.	श्री सुदामा प्रसाद गुप्ता, ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक, वर्ग–1/प्रभारी आलू विकास अधिकारी, मुनस्यारी (पिथौरागढ़)	कनिष्ठ पुष्प विज्ञानी निदेशालय, उद्यान भवन, चौबटिया
2.	श्री गणेशी लाल कश्यप, ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक, वर्ग–1/प्रभारी जिला उद्यान अधिकारी, गोपेश्वर (चमोली)	जिला उद्यान अधिकारी, गोपेश्वर (चमोली)
3.	श्री राम प्यारे चौधरी, ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक, वर्ग–1/प्रभारी जिला उद्यान अधिकारी, बागेश्वर	जिला उद्यान अधिकारी, बागेश्वर
4.	श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य, ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक, वर्ग–1, जिला उद्यान कार्यालय, टिहरी	पौधशाला विकास अधिकारी, मगरा (टिहरी)
5.	श्री केशव प्रसाद यादव, ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक, वर्ग–1, जिला उद्यान कार्यालय, हरिद्वार	आलू विकास अधिकारी, उत्तरकाशी
6.	श्री दरबान लाल टम्टा, ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक, वर्ग–1, जिला उद्यान कार्यालय, रुद्रप्रयाग	औद्यानिक प्रशिक्षण अधिकारी, ग्वालदम (चमोली)
7.	श्री दयालु राम, ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक, वर्ग–1, जिला उद्यान कार्यालय, पिथौरागढ़	आलू विकास अधिकारी, मुनस्यारी (पिथौरागढ़)
8.	श्री हरीश चन्द्र श्रीवास्तव, ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक, वर्ग–1, जिला उद्यान कार्यालय, रुद्रप्रयाग	जिला उद्यान अधिकारी, रुद्रप्रयाग
9.	श्री श्रीराज पंचोला, ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक, वर्ग–1, जिला उद्यान कार्यालय, उत्तरकाशी	जिला उद्यान अधिकारी, उत्तरकाशी

1	2	3
10.	श्री भुवन चन्द्र पाण्डेय, ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक, वर्ग–1, निदेशालय उद्यान भवन, चौबटिया	प्रसार अधिकारी (प्रशिक्षण), निदेशालय उद्यान भवन, चौबटिया।
11.	श्री राजवली राम यादव, ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक, वर्ग–1, राजकीय उद्यान, चौबटिया	आलू बीज अधिकारी, निदेशालय उद्यान भवन, चौबटिया
12.	श्री नरेन्द्र सिंह मनराल, ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक, वर्ग–1, राजकीय पौधालय, कालाढूंगी, नैनीताल	पौधशाला विकास अधिकारी, रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर

उपरोक्तानुसार पदोन्नत अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है, कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान में कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक शासन एवं उद्यान निदेशालय को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

उत्पल कुमार सिंह,
सचिव।

शिक्षा अनुभाग–6

अधिसूचना

12 अक्टूबर, 2006 ई0

संख्या 884 / XXIV(6) / 2006–3(21)04–श्री राज्यपाल, दून विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 18, वर्ष 2005) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त अधिनियम को प्रवृत्त करने के लिए एतद्द्वारा 26 अप्रैल, 2005 की तारीख नियत करते हैं।

आज्ञा से,

एस0 राजू,
सचिव।

NOTIFICATION

October 12, 2006

No. 884/XXIV(6)/2006-3(21)04--In exercise of powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Doon University Act, 2005 (Act No. 18 of 2005), the Governor, hereby appoint the 26th day of April, 2005 as the date on which the above said Act shall come into force.

By Order,

S. RAJU,
Secretary.

नियोजन अनुभाग

विज्ञप्ति/पदोन्नति

13 अक्टूबर, 2006 ई०

संख्या 204/दो(24)/2004-XXVI/2006-उत्तरांचल राज्य को आवंटित अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तरांचल में वेतनमान रु0 10000-15200 में उपनिदेशक के पद पर कार्यरत निम्न अधिकारियों को विभागीय पदोन्नति चयन समिति, दिनांक 05-10-2006 की संस्तुति के आधार पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वेतनमान रु0 12000-16500 में संयुक्त निदेशक के पद पर नियमित रूप से पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) श्री चन्द्र प्रकाश गुप्ता

(2) श्री पंकज नैथानी

(3) डा0 मनोज कुमार पन्त

2-उक्त पदोन्नत अधिकारी नियमानुसार प्रारम्भ में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे जिसे आवश्यकतानुसार बढ़ाया भी जा सकता है। प्रश्नगत पदोन्नतियां उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 73(2) के अधीन होंगी।

आज्ञा से,

अमरेन्द्र सिन्हा,
सचिव।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग-1

कार्यालय ज्ञाप

18 सितम्बर, 2006 ई०

संख्या 1012/XIX/06-145/2004-लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राज्य में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के माध्यम से वितरण किये जा रहे खाद्यान्न के मानक, मूल्य एवं गुणवत्ता तथा राशन कार्डों के मूल्यांकन एवं योजनाओं का सफलता पूर्वक संचालन के दृष्टिगत नियत अवधि में मूल्यांकन हेतु पंचायत, ब्लॉक, जिला तथा राज्य स्तर पर भारत सरकार के निर्देशानुसार निम्नलिखित "सतर्कता समितियां" (Vigilance Committees) गठित की जाती हैं। उक्त समितियों में प्रत्येक स्तर पर निम्नांकित अध्यक्ष/सदस्य नामित किये जाते हैं :-

(1) राज्य स्तर पर :

खाद्य मंत्री	—	अध्यक्ष
सचिव, खाद्य/ग्राम्य विकास/पंचायतीराज/सहकारिता विभाग	—	सदस्य
आयुक्त, खाद्य विभाग	—	सदस्य
सम्भागीय खाद्य नियंत्रक कुमायूँ/गढ़वाल, उत्तरांचल	—	सदस्य

(2) जनपद स्तर पर :

अध्यक्ष, जिला पंचायत	—	अध्यक्ष
जिलाधिकारी	—	सदस्य
मुख्य विकास अधिकारी/जिला पंचायतराज अधिकारी/जिला परियोजना अधिकारी/जिला सहायक निबन्धक/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत	—	सदस्य
जिलापूर्ति अधिकारी	—	सदस्य-सचिव

(3) ब्लॉक स्तर पर :

ब्लॉक प्रमुख	—	अध्यक्ष
उप जिलाधिकारी	—	सदस्य
खण्ड विकास अधिकारी	—	सदस्य
क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/वरिष्ठ पूर्ति निरीक्षक	—	सदस्य–सचिव

(4) पंचायत (ग्रामीण) स्तर पर :

ग्राम प्रधान	—	अध्यक्ष
पंचायत द्वारा निर्वाचित कोई महिला (प्रधान द्वारा नामित)	—	सदस्य
अनु0 जाति/अनु0 जनजाति के प्रतिनिधि (प्रधान द्वारा नामित)	—	सदस्य
पूर्ति निरीक्षक	—	सदस्य–सचिव
ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम्य विकास अधिकारी	—	सदस्य

अतः अनुरोध है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत गठित उक्त सतर्कता समितियों द्वारा टी0पी0डी0एस0 के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न (गेहूं/चावल) का उपभोक्ताओं में सुचारु रूप से वितरण की जांच/परीक्षण, मूल्यांकन आदि का कार्य एवं पूर्ण उत्तरदायित्व का निर्वहन भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार किया जायेगा।

आज्ञा से,

हरिश्चन्द्र जोशी,
सचिव।

सहकारिता अनुभाग

कार्यालय ज्ञाप

10 अक्टूबर, 2006 ई0

संख्या 818/XIV–1/सह0/2006–क्षेत्रीय उप निबन्धक, सहकारी समितियां, उ0प्र0, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल के आदेश दिनांक 23–05–1976 द्वारा श्री हरि बिलास उप्रेती की पदोन्नति तदर्थ एवं अस्थाई आधार पर की गई थी। क्षेत्रीय उप निबन्धक, सहकारी समितियां, उ0प्र0, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल के आदेश, दिनांक 19–12–1978 द्वारा श्री उप्रेती को जो तदर्थ व्यवस्था में पदोन्नत किये गये थे, द्वारा उनके मूल पद राजकीय पर्यवेक्षक पर प्रत्यावर्तित किया गया। श्री उप्रेती द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या, 29631/98 दायर की गई, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14–09–1998 को निम्न आदेश पारित किये गये :–

The petitioner has prayed for fixation of pay scale and arrears. In this connection he has made representations dated 29.12.97 and 27.1.98 and I direct the authority concerned to decide the same within two months of the production of the certified copy of this order in accordance with law.

The writ petition is disposed of.

पूर्व राज्य उत्तर प्रदेश में निबन्धक, सहकारी समितियां, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेशों के अनुपालन में श्री उप्रेती के प्रत्यावेदन, दिनांक 29–12–97 एवं 27–01–98 जिसमें श्री उप्रेती ने अपने से कनिष्ठ श्री कविदत्त पाठक जिनका ग्रेडेशन नं0–73 है, को सहकारी निरीक्षक वर्ग–2 के पद पर कार्यरत रहने का उल्लेख करते हुए अपने प्रत्यावर्तन आदेश को निरस्त कर उसी तिथि से पदोन्नति करने का अनुरोध किया गया था, पर विचार करते हुए आदेश, दिनांक 31–01–2000 द्वारा उन्हें वर्ष 1978 से नोशनल पदोन्नत मानते हुए उनके प्रत्यावेदन का निस्तारण किया गया, तथा आदेश, दिनांक 08–03–2000 द्वारा मण्डलीय उप निबन्धक, सहकारी समितियां, उ0प्र0, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल के आदेश, दिनांक 19–12–1978 श्री हरि बिलास उप्रेती के पुनः राजकीय पर्यवेक्षक पद पर तैनात करने की तिथि दिनांक 19–12–1978 से श्री उप्रेती को सहकारी निरीक्षक वर्ग–2/सहायक विकास अधिकारी (सह0) के पद पर नोशनली पदोन्नत किया गया।

उपरोक्तानुसार नोशनल पदोन्नति दिनांक 19–12–1978 से प्राप्त होने के फलस्वरूप परिणामी लाभ के रूप में श्री उप्रेती को मा0 उच्च न्यायालय के आदेश रिट याचिका स0–204(एस0/एस0)/2000 के अन्तर्गत आदेश दिनांक 8.3.2000 के क्रम में निबन्धक सहकारी समितियां उत्तरांचल ने अपने आदेश दिनांक 21.03.2002 द्वारा श्री उप्रेती को सहकारी निरीक्षक वर्ग 1 के पद में दिनांक 16.01.89 से पदोन्नति प्रदान की तथा इस क्रम में सभी परिणामी लाभ प्रदान किये जाने के आदेश भी पारित किये। श्री उप्रेती को सहायक निबन्धक के पद पर पदोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में प्रकरण निबन्धक सहकारी समितियां उत्तरांचल द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में अग्रेत्तर कार्यवाही करने हेतु शासन को सन्दर्भित किया गया। उक्त के क्रम में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 487/xx(1)/स0वि0/सह0/2002 दिनांक 24.05.2002 द्वारा श्री उप्रेती को समस्त परिणामी लाभों सहित सहायक निबन्धक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई।

उपर्युक्त प्रकरण निबन्धक सहकारी समितियां उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा श्री उप्रेती को दिनांक 19.12.1978 से नोशनल पदोन्नति दिये जाने के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ है क्योंकि वर्ष 1979 से पूर्व में निरीक्षक वर्ग 2 के पद पर वर्ग 3 से नियमित पदोन्नति दिये जाने का कोई प्राविधान अथवा सेवा नियमावली नहीं थी। वर्ग–3 से वर्ग–2 में स्थानीय व्यवस्था के अन्तर्गत तदर्थ/स्थानापन्न आधार पर क्षेत्रीय उप निबन्धक द्वारा पदोन्नतियां प्रदान की जाती थी अधीनस्थ सहकारी सेवा नियमावली 1979 में राजकीय पर्यवेक्षक से सहकारी निरीक्षक वर्ग 2 के पद पर पदोन्नति का प्राविधान किया गया। वर्ष 1985 में राजकीय पर्यवेक्षक से सहकारी निरीक्षक वर्ग 2 के पद पर पदोन्नतियां की गई उस समय श्री हरि विलास उप्रेती के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही विचाराधीन होने के कारण उन्हें पदोन्नति नहीं किया गया। वर्ष 1990 में उनके विरुद्ध चल रही अनुशासनिक कार्यवाही में अन्तिम निर्णय लिये जाने के पश्चात श्री उप्रेती को वर्ष 1992 में सहकारी निरीक्षक वर्ग 2 के पद पर पदोन्नत किया गया।

अपर निबन्धक (प्रशासन) सहकारी समितियां उ0प्र0 लखनऊ के आदेश संख्या 4792–97/स्था0 ख/1ए 6 2250 दिनांक 08.03.2000 एवं पत्र संख्या 4182/स्था0ख/1ए–4, दिनांक 31.01.2000 पर पुनर्विचार किये जाने के पश्चात् निम्न त्रुटियां प्रकाश में आईः–

1 श्री कविदत्त पाठक जिनका पोषक संवर्ग राजकीय पर्यवेक्षक की वरिष्ठता सूची में क्रमांक 73 पर अंकित है को क्षेत्रीय उप निबन्धक द्वारा दिनांक 8 मार्च 2000 को तदर्थ व्यवस्था में पदोन्नत किया गया था। श्री कविदत्त पाठक को कभी भी तदर्थ पदोन्नति से नोशनल प्रमोशन से नियमित नहीं किया गया।

2 श्री पाठक से वरिष्ठ राजकीय पर्यवेक्षकों को तदर्थ व्यवस्था में पदोन्नत नहीं किया गया था।

3 अधीनस्थ सहकारी सेवा नियमावली 1979 लागू होने से पूर्व राजकीय पर्यवेक्षक से सहकारी निरीक्षक वर्ग 2 के पद पर पदोन्नति का कोई प्राविधान नहीं था।

4 सहकारी निरीक्षक वर्ग–2 के पद पर वर्ष 1978 में राजकीय पर्यवेक्षक से पदोन्नति का कोई कोटा निर्धारित नहीं था

यह कि अधीनस्थ सहकारी सेवा नियमावली 1979 में राजकीय पर्यवेक्षक से सहकारी निरीक्षक वर्ग 2 के पद पर पदोन्नति का प्राविधान किये जाने पर राजकीय पर्यवेक्षक से सहकारी निरीक्षक वर्ग 2 के पद पर उनके कोटे के आधार पर रिक्तियों के सापेक्ष वरिष्ठता सूची के अनुसार श्री उप्रेती से वरिष्ठ कार्मिकों को आदेश संख्या, सी–63/स्था0 नि0प0/06, दिनांक 08.02.2006 द्वारा दिनांक 01.07.1985 से 01.07.1992 तक तथा उनसे कनिष्ठ कार्मिकों को दिनांक 01.09.1994 से 01.07.2001 की विभिन्न तिथियों में सहकारी निरीक्षक वर्ग 2 के पद पर नियमित किया गया है।

अतः श्री हरि बिलास उप्रेती के प्रकरण पर सम्यक् विचारोपरान्त अपर निबन्धक (प्रशासन), सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के आदेश संख्या 4792–97/स्था0ख/1ए 6–2250, दिनांक 08.03.2000 एवं पत्र संख्या 4182/स्था0ख/1ए–4, दिनांक 31.01.2000 को निरस्त किया जाता है। उक्त आदेश के क्रम में विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेश के क्रम में पारित निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तरांचल के आदेश संख्या 314/निबन्धक/स्थापना/रिट/2002, दिनांक 21.03.2002 तथा शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 487/व0ग्रा0वि0/सह0/2002, दिनांक 24.05.2002 स्वतः निष्प्रभावी हो जाने के फलस्वरूप उक्त आदेशों को निरस्त माना जाय। इस प्रकार पदोन्नति पदों की उपलब्धता के आधार पर श्री उप्रेती को भी इनके कनिष्ठ कर्मचारी के नियमितीकरण की तिथि 01.09.1994 से सहकारी निरीक्षक वर्ग–2 के पद पर नियमित नोशनल रूप से पदोन्नत किया जा सकता है। श्री उप्रेती को अपर निबन्धक (प्रशासन), सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के उक्त आदेश दिनांक 08.03.2002 द्वारा नोशनल पदोन्नति दिये जाने के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों एवं मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के उक्त आदेशों के क्रम में निर्गत किये गये निर्णयों/आदेशों के क्रम में श्री देवकी नन्दन जोशी को निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तरांचल द्वारा आदेश संख्या 20 (अ)/रिट/05, दिनांक 02.04.2005 एवं उत्तरांचल शासन के आदेश संख्या 722/XIV–1/2005, दिनांक 07.11.2005 द्वारा प्रदान की गई पदोन्नतियों को भी तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,
डा0 रणवीर सिंह,
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 44 हिन्दी गजट/579–भाग 1–2006 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तरांचल, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू०ए०/डी०एन०–30/2006–2008
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 04 नवम्बर, 2006 ई० (कार्तिक 13, 1928 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तरांचल के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARANCHAL
AT NAINITAL

NOTIFICATION

CONFIRMATION

October 12, 2006

No. 142/UHC/Admin. A/2006--The following officers are here-by confirmed in Uttaranchal Higher Judicial Service, subject to the adjustment of their seniority :--

1. Sri Virendra Kumar Maheshwari
2. Mrs. Indira Ashish
3. Sri Pramod Kumar Agarwal
4. Sri Ram Ratan Agarwal
5. Sri Ramesh Chandra Maulekhi
6. Sri Sarvesh Kumar Gupta
7. Sri Umesh Chandra Dhyani
8. Sri Roop Dev Pandey
9. Sri Raj Krishan
10. Sri Krishan Dutt Bhatt
11. Sri Ram Singh
12. Sri Ramesh Chandra Kukreti
13. Sri Dinesh Prasad Gairola
14. Sri Kawer Sain
15. Sri Ram Dutt Paliwal

16. Sri Narayan Singh Dhanik
17. Sri Ramesh Chandra Khulbe
18. Sri Gyanendra Kumar Sharma
19. Smt. Meena Tewari
20. Sri Ravindra Maithani
21. Sri Kanta Prasad
22. Sri Alok Kumar Verma

By Order of the Court,

Sd./–
Joint Registrar.

NOTIFICATION

October 12, 2006

No. 143/UHC/Admin. A/2006--In exercise of the powers conferred by Rule 27 (i) of the Uttaranchal Higher Judicial Service Rules, 2004 and all other powers enabling in this behalf, the High Court of Uttaranchal is pleased to grant the selection grade of Rs. 18750-400-19150-450-21850-500-22850 to the following officers after completing 5 years continuous service in the H.J.S. cadre from the date noted against the name of each officer.

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Grant of Selection Grade
1.	Sri Roop Dev Pandey	30.05.2005
2.	Sri Raj Krishan	30.05.2005

By Order of the Court,

Sd./--
Registrar General.

October 13, 2006

No. 144/UHC/Admin. A/2006--Sri S.N. Singh, Special Judicial Magistrate, Pithoragarh is transferred and posted as Special Judicial Magistrate, Dehradun vice Sri D.P. Singh.

By Order of the Court,

V. K. MAHESHWARI,
Registrar General.

उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल

विज्ञप्ति

17 अक्टूबर, 2006 ई०

संख्या 145 / XIV / 40 / प्रशा० अनु०—अ / 2003—श्री मीना तिवारी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / पंचम फास्ट ट्रेक कोर्ट, देहरादून को दिनांक 20.09.2006 से 27.09.2006 तक 08 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया।

न्यायालय की आज्ञा से,

रवीन्द्र मैठाणी,
अपर निबन्धक।

HIGH COURT OF UTTARANCHAL AT NAINITAL

NOTIFICATION

October 18, 2006

No. 146/UHC/Admin. A/2006--Pursuant to the Government Notification No. 57-Ek(1)/XXXVI(1)/06-245g/2001, dated October 16, 2006, issued in continuation of the Government Notification No. 11-Ek(1)/XXXVI(1)/Nyaya Anubhag/2005, dated January 01, 2005, in exercise of the powers conferred under proviso to sub-section (1) of Section 11 of Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), supreseding S.L. No. 1, 2, 3 & 4 of Schedule-1 and Government Notification No. 403/Nyaya Anubhag/2001, dated June 07, 2001, superseding S.L. No. 10 of Schedule-I, Chief Judicial Magistrate/Addl. Chief Judicial Magistrate, Bageshwar, Champawat, Rudraprayag, Uttarkashi & Kashipur as specified in column no. 2 of Schedule-1 below with place of sitting as specified against each in column no. 4 shall preside over the special court for trying cases under the enactments specified in Schedule--II of said notification.

Schedule--I

Sl. No.	Name of Court	District/Tehsil	Place of Sitting
1	2	3	4
1.	Chief Judicial Magistrate, Bageshwar	Bageshwar	Bageshwar
2.	Chief Judicial Magistrate, Champawat	Champawat	Champawat
3.	Chief Judicial Magistrate, Rudraprayag	Rudraprayag	Rudraprayag
4.	Chief Judicial Magistrate, Uttarkashi	Uttarkashi	Uttarkashi
5.	Addl. Chief Judicial Magistrate, Kashipur	Kashipur	Kashipur

By Order of the Court,

V. K. MAHESHWARI,
Registrar General.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 44 हिन्दी गजट/579–भाग 1–क–2006 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तरांचल, रुड़की।